16/24

पत्रावली प्रस्तुत। मूल पाठ का निस्तारण होने के कारण प्रा० पत्र 212 RTA औचित्यहीन है। अतः प्रा० पत्र 212 RTA औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर नं० - से बंद हो।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.01 14:36:14 IST
Reason: SelfAttested